

SHRI NARENDRA MOHAN: Although the question which arose from the discussion is whether Indian medical colleges are able to take up such research which may help in finding the right medicine of aid what they are doing, the question is we have medical colleges where teaching is going down every day. Their standard of teaching is so poor that several medical colleges, if properly looked into, have to be delinked and derecognised. Unfortunately, the hon. Minister was not there when the Minister of Human Resources Development was referring to this matter, that in India there is a need for private medical colleges. This is beside the point. My point here is whether the hon. Minister is thinking of taking the help of private institutions and private research centres to find out some sort of medicine for helping the patients.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, I do not want to repeat what has already been said. I will be very brief. I do not want to make a lecture also. Keeping in view the importance of nuclear medicine, its advanced application and being it a new branch, I would like to know from the Minister whether the Government will take steps to expand this facility in different States, at least, to have two or three centres in every State. Will the Government take any initiative in this regard?

SHRI DALIT EZHILMALAI: Sir, I absolutely agree with the hon. Member with regard to taking this advanced technology to other States also. This is the topmost priority on our agenda and we will consider it.

श्री सूर्यभान पाटील बहाडणः सभापति महोदय, दो दिन पूर्व इस सभागृह में नार्थ-ईस्ट एरिए की दृष्टि से चर्चा हुई थी और उसमें वहां के डवलपमेंट के कई सवाल आए थे कि इन कमियों को दूर करने के लिए प्रायरीटी बेसिस पर नार्थ-ईस्ट के बारे में सोचना होगा। इसी संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि पूरे नार्थ-ईस्ट में यह सुविधा प्रायरीटी बेसिस पर उपलब्ध कराने के लिए क्या केन्द्र सरकार कुछ इस बारे में सोचेगी?

SHRI DALIT EZHILMALAI: Sir, it is altogether a different question.

MR. CHAIRMAN: All right. Next question.

मध्य प्रदेश में एफ.सी.आई. के और अधिक वेस डिपुओं का खोला जाना

447. श्री राधाकिशन मालवीय: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए भारतीय खाद्य निगम के कितने वेस डिपो हैं, क्या राज्य की आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त वेस डिपो पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारतीय खाद्य निगम की मध्य प्रदेश में और वेस डिपो खोलने की कोई योजना है; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वेस डिपुओं से सामान्य वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों को जारी करने का प्रबन्ध करेगा?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(a) और (ख) मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन राज्य सरकार को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए 61 नामित निर्गम केन्द्र हैं जिन्हें फिलहाल पर्याप्त समझा जा रहा है।

(ग) राज्य में भारतीय खाद्य निगम के 61 निर्गम केन्द्रों में से उन केन्द्रों की संख्या 24 थी जहां से पूर्ववर्ती सम्पुट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन निर्गम किया जाता था। इन 24 केन्द्रों में से 22 केन्द्र अवसंश्लिखित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केवल गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के लिए आपूर्ति कर रहे हैं जब अन्य दो केन्द्रों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है।

श्री राधाकिशन मालविय: सभापति जी, यह प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भारत सरकार के भारतीय खाद्य निगम के जो डिपो होते हैं, उससे संबंधित है। मध्य प्रदेश इस देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है और इसलिए मध्य प्रदेश के की सरकार ने वहां पर वितरण प्रणाली को दुरुद्ध करने के लिह नए डिपो की मांग की थी। अब सरकार का जवाब आया हैकि वहां पर 61 भारतीय खाद्य निगम के डिपो हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ते लिए पर्याप्त है। सरकार का यह जवाब है जबकि मध्य प्रदेश की सरकार ने मांग की कि वहां पर खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए विशेष डिपो का निर्माण किया जाए। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो खाद्यान्न का विपरम होता है डिपो के माध्यम से प्रति वर्ष वहां पर बरसात में या अन्य सीजन में कितना खाद्यान्न खराब हो जाता है? और, जो गेहूं या चावल खराब होता है, उसको सरकार किस भाव में बेचती है? उससे सरकार को कितना घाटा होता है।

सरदार सुरजित सिंह बरनाला: सभापति जी, यह सवाल इनका स्टोरेज का था कि स्टोरेज कितना है? हमने बताया कि यह बेस डिपो 61 है, जहां से हम पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन का बंदोबस्त करते हैं। इनमें से 24 में से 22 ऐसे हैं, जो बिलो पावरटी लाइन के लोगों के लिए और दूसरे एबोव पावरटी लाइन और बिलो पावरटी लाइन, दोनों को सर्व करते हैं। उससे अगर ज्यादा और डिपो खोलना चाहें तो एफ.सी.आई. उसमें कुछ मदद भी करती है। स्टेट गवर्नमेंट 2000 टन के गोदाम कहीं भी खोल सकती है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ रस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें 50 परसेंट एफ.सी.आई. कंट्रीब्यूट करती है स्टोरेज के लिए 50 परसेंट स्टेट को देना पड़ता है। दो-दो हजार टन के आप जहां चाहें, चाहे पहाड़ी इलाके हैं या जंगली इलाके हैं, दो-दो हजार टन के डिपो वहां पर आप खोल सकते हैं। हम मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही वेन दो होती है, जी अंदर इंटीरियर में अनाज को ले जाती है, उसके लिए भी 50 परसेंट हम सबसिडाइज करने के लिए तैयार है।

श्री राधाकिशन मालविय: सभापति जी, मेरे प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। इन्होंने तो कह दिया कि 50 प्रतिशत के आधार पर डिपो खोलने के लिय तैयार हैं। मेरा इनसे यह पूछना है कि कितने नवेदन पत्र राज्य सरकार से अभी तक आए हैं, जिसमें लिखा है कि हम डिपो खोलना चाहते हैं?

सभापति जी, मैंने यह पूछा था कि आपके जो डिपो हैं, यहां खाद्य सामग्री रखी जाती है, जहां से वितरण किया जाता है वहां पर प्रतिवर्ष, डिपो की कमी होने की वजह से, कितना खाद्यान्न खराब हो जाता है और उसमें चाहा था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर नहीं दिया। मेरा सैंकिड सप्लीमेंटरी है, आपने जवाब दिया कि 22 केन्द्र ऐसे हैं जहां से हम गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न का वितरण करते हैं और 2 केन्द्र ऐसे हैं, जहां से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण किया जाता है और ऐसे आपने टोटल 24 केन्द्र बताए हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी यह पूछना है कि मध्य प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे कितने लोग हैं, उनको वितरण करने का तरीका क्या है और आम जनता को वितरण करने का तरीका क्या है?

सरदार सुरजित सिंह बरनाला: सवाल इन्होंने दो किए हैं। इन्होंने पहले पूछा है कि कितना अनाज खराब हो जाता है, कितनी रकम का गनाज खराब हो जाता है, कितनी उसकी विषमता होती है, यह सब इस सवाल, मैं एराइज नहीं होता। आप मुझे अलग से सवाल दें तो मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कि कितना अनाज खराब हुआ, उसकी कितनी कीमत थी, हुआ भी के नहीं हुआ, वह मैं सारी आपको डिटेल, दूंगा।

दूसरी बात जो आपने कही है कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए हम क्या बंदोबस्त करते हैं, तो मैंने बताया है कि 24 डिपो ऐसे हैं जहां से उनके लिए अनाज है। वहां से आगे पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए अरेंजमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो वे वहां से ले जाते हैं और वहां से ले जाकर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए उसे मुहैया कराना है जहां से फिर यह गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को दिया जाता है।

श्री राघवजी: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वर्तमान में वहां पर 61 निर्गम डिपो हैं। एफ.सी.आई. की जो वर्तमान व्यवस्था है वह आगम के लिए कम है और निर्गम के लिए भी कम है। आगम के लिए इसलिए कम है कि जितना माल खरीदा जाता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा खुले में स्टोर किया जाता है क्योंकि उतनी जगह ही नहीं होती अंदर रखने के लिए और जो माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था बताई है कि 24 डिपो हैं, जिनमें से दो ऐसे हैं

f जहां से पावर्टी लाइन से ऊपर के लोगों के लिए वितरण किया जाता है और 22 ऐसे हैं जो बिलो पावर्टी लाइन के लोगों के लिए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप सभी 24 डिपों पर यह व्यवस्था क्यों वहीं करते कि चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे बिलो पावर्टी लाइन का हो या एबोव पावर्टी लाइन का हो, उन सभी को वहां से खाद्यान्न प्राप्त हो सके?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: स्टोरेज का जहां तक ताल्लुक है, स्टोरेज कई किस्म की है। एफ.सी.आई. का स्टोर है मध्य प्रदेश में 14.58 लाख टन का, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का है 7 लाख टन का, स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का है 14 लाख टन का, यानी 35.94 लाख टन की स्टोरेज कैपेसिटी वहां पर है और वहां पर प्रिक्वोरमेंट कम होती है। इस बार पहली दफा प्रिक्वोरमेंट अच्छी हुई है। वीट की प्रिक्वोरमेंट 5,27,000 टन पहली दफा हुई है। पहले तो कभी एक लाख, कभी डेढ़ लाख होती थी। इस दफा प्रिक्वोरमेंट वहां पांच गुणा पढ़ी है और उसके लिए सफिशेंट स्टोरेज कैपेसिटी वहां लेते, वे डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर से लेते हैं। ये तो मेन स्टोरेज हैं, जहां से स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है। यह बंदोबस्त है।

SHRI R. MARGABANDU: Sir, the question is not confined to Madhya Pradesh alone; it relates to several other States. Recently, the paddy procured in Tamil Nadu was kept outside and exposed to rain. As a result, a lot of damage has been caused to paddy. It all happened just for want of adequate depots in Tamil Nadu. I wanted to know from the hon. Minister whether the Government has any proposal to open as many depots as possible which the state needs.

SHRI S.S. BARNALA: Sir, the question was specifically regarding Madhya Pradesh.

MR. CHAIRMAN: Okay, you need not reply.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Minister, in his statement, has stated that there are 61 nominated issue points, out of which 22 are exclusively meant to supply foodgrains to persons

living below the poverty line. The revamped Public Distribution System has been introduced with targeted groups since 1967. Then, another development has also taken place. As per the report of the Expert Group, the number of persons

living below the poverty line has increased substantially in terms of percentage. There must have been an increase of 9 per cent. And each family, living below the poverty line, is entitled to get 10 Kg. rice per month. In view of that, I would like to know from the hon. Minister: (a) whether the issuing centres, as mentioned in his statement, are adequate in number in the context of enhanced number of persons to be covered under the new scheme; (b) keeping in view the enhancement in the number of persons living below the poverty line, whether the Government is going to reconsider to have more issuing centres. Then, all of us are aware of the fact that Madhya Pradesh is not only one of the largest States from area point of view, but also has the largest concentration of tribal people, who are usually below the poverty line. So, I would like to know whether the Government is going to reconsider the decision of expanding the network, as per the recommendations of the State Government.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, of course, the number of persons living below the poverty line has considerably increased, but we have made adequate arrangements for supply of foodgrains. Particularly, in Madhya Pradesh adequate arrangements had been made for allotment of foodgrains, both rice and wheat, but the lifting has been less than allotment, for example, in 1996-97, the allotment was 6,05,000 tonnes, whereas the lifting was only 4,31,000 tonnes; in 1997-98 supply or allotment was 5,70,000 tonnes, whereas the lifting was only 3,07,000 tonnes. So during the last five years the supply of foodgrains by the State has been much more than the lifting by the State Government.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Is it because of the unavailability of infrastructure and less issuing centres? That is my point.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: There have been no such complaints that i rlequatic issuing centres arc not being j operated in the State. Whereever more issuing centres are required the State Government can always approach the FCI, and we will try to help them.

श्री गोविन्दराम मिरी: सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और वहां कई ऐसे स्थान हैं जहां सड़कें अच्छी नहीं हैं, पुल नहीं हैं, इनएक्सेसिबल ऐरियाज हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने गोदाम हैं और उनकी चावल और गेहूँ की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। मैंने जैसे कहा कि वहां इनएक्सेसिबल ऐरियाज हैं, वहां सड़कें नहीं हैं बरसात के 4 महीनों में वहां बहुत परेशानी होती है और वहां आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है, ऐसे लोगों को अनाज मिल जाए, अनाज का स्टोरेज हो जाए ताकि उनको बरसात में तकलीफ न हो, इसके लिए इन ऐरियाज में कितने गोदाम खोले गए हैं? महोदय मेरे प्रश्न का तीसरा भाग यह है कि जितनी मांग मध्य प्रदेश सरकार ने की है, क्या उतने की पूर्ति केन्द्र सरकार ने कर दी है? मेरा अगला प्रश्न है कि फोर्ड फाउण्डेशन ने चार वर्ष पहले सर्वे किया था कि टोटल लास 4 परसेंट है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आपकी मिनिस्ट्री क्या कहती है और इसमें पड़ा भाग चूहों द्वारा नुकसान किया जाता है। उसकी रोकथाम के लिए आपने क्या उपाय किए हैं ताकि मध्य प्रदेश में अनाज की पूर्ति आवश्यकता के अनुसार अच्छी तरह से हो सके।

सरदार सुरजित सिंह बरनाला: सर, मैं ओनरेबिल मेंबर को बताना चाहूंगा कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम जो है वह एफ.सी.आई. खुद नहीं चलाती तथा खुद दुकाल खोलकर लोगों को अनाज नहीं देती है। यह स्टेट गवर्नमेंट कि जिम्मेदारी होती है। स्टेट गवर्नमेंट से जितनी मांग आती है कि हमें इतना चावल चाहिए इतना व्हीट चाहिए वह एफ.सी.आई. सप्लाई करती है और अपने ? में पहुंचा देती है और वहां से फिर स्टेट गवर्नमेंट ? राज उन्होंने किया है कि कहीं इनएक्सेसिबल ऐरियाज हैं ? पर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वहां पर

दुकानें खोलें, दुकानें खोलकर वहां पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का काम चलाएं। हमारे जिम्मेदारी एडिक्वेट सप्लाई की है। एडिक्वेट सप्लाई मध्य प्रदेश में जाती रही है।

श्री गोविन्दराम मिरी: मैंने लास के बारे में भी पूछा है कि फोर्ड फाउण्डेशन ने यह स्टडी किया है कि 4 परसेंट लास होता है।

सरदार सुरजित सिंह बरनाला: इसका कवेश्चन अलग से करें।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Hon. Chairman, Sir, the question raised by the previous speaker was regarding the supply of foodgrains to the inaccessible areas. There are many areas in the country which are flood-prone and which remain cut off during floods and during the rainy season because of the unmotorable roads. Ahd mostly in the hilly areas there is no train facility and always the roads arc disrupted. My experience of the North-East says that there are some parts in Arunachal Pradesh where foodgrains have to be lifted from Assam. One litre of kerosene is sold at Rs. 70. There is no question of

other essential items because for seven months, that is, from the month of April to October, the area remain cut off. This is a known fact. Unless and until we fix the responsibility on central Government Departments, as it is thebounden duty of the State' Government to have an effective Public Distribution System—what is the use of having a Central Ministry? Because, the FCI is already making arrangements of depots and easy supply of foodgrains to the needy people. I would like to know from the hon. Minister precisely what action-plan has been proposed in the Ninth Plan to have FCI depots for easy suply of foodgrains to all those inaccessible areas during rainy season.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA; I can understand the anxiety of the hon. Member, particularly about the inaccessible areas in the North-East. This time, I had made it a point to make

arrangements for stocking foodgrains in those areas before the onset of monsoon. But, unfortunately due, to some disruption in the traffic there was some difficulty. But, we have been able to overcome those difficulties also. In those States sufficient stocks of foodgrains have been provided for any emergency like this.

MISS MABEL REBELLO: I am told that last year M.P. States Government had demanded in writing to start, additional depots and FCI godowns in M.P. I would like to know from the hon. Minister what happened to that?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA: Sir, I have not seen any such request from the State Government. As I have said, we surely like to help the State Government.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up question No. 448.

Lack of Amenities in Mail/Express Trains of NEF Railways

*448. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the lack of entitled amenities to the passengers of the mail/express trains of North East Frontier Railways;

(b) if so, the nature of complaints and action taken so far;

(c) whether a Member of Parliament has about two months back made specific complaints in this regard highlighting problems in Kamrup Express, Tista-Torsa Express and Kanchenjunga Express;

(d) whether investigations were asked for; and

(e) whether the same has been done; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. Passenger feedback and complaints are received regularly by Railways through public grievance machinery set up by Railways. The complaints regarding passenger amenities are generally in the areas of coach maintenance/cleanliness, non-availability of water, malfunctioning of lights, fans or air-conditioning plant, catering, non-availability of bed rolls and improper behaviour of commercial staff. All the complaints are redressed on case by case basis by the respective Zonal Railway.

(c) Yes, Sir. A complaint was received regarding shortage of bed rolls in AC 2-Tier of Kamrup Express, air conditioning system not working on Tista-Torsa Express, use of old and outdated coaches in North-east Frontier Railway and not allotting new coaches to Northeast Frontier Railway and Eastern Railway, as well as for non-availability of Pantry car.

(d) Yes, Sir.

(e) Yes, Sir. Investigations have been carried out and requisite corrective measures have been initiated.

श्री दीपांकर मुखर्जि: सर, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि बोलता है। सवाल यह है... (व्यवधान)... नहीं, गाना ही सुना रहा हूँ, बड़ा दुखद् गाना है। इसीलिए कि सर, दो दिन तक हम लोगों ने डिस्कस किया नौर्थ ईस्ट की प्रोब्लम कि नार्थ ईस्ट में क्या करना चाहिए यह होना चाहिए, वह होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पून् होना चाहिए। Railways is one part that Dr. Dutta had mentioned. It is very important. These are very small, entitled amenities, and as to how the trains should move. Before we introduce new trains, we must strengthen the existing service. This was the query I formulated I am happy to note that the Railw; Minister has accepted that these are t problems. About the complaints there no doubt or ambiguity. All the tra which I have named in this question having these problems. Sir, When I r to Parliament and when all